न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

प्रकरण संख्या : अपील/एल.आर./3080/2006/कोटा

1. राजाबाबू पुत्र स्वर्गीय लक्ष्मीनारायण
2. राधेश्याम पुत्र स्वर्गीय लक्ष्मीनारायण
3. नन्दू बाई बेवा स्वर्गीय श्री लक्ष्मीनारायण

–सभी जाति लोधा निवासीगण ग्राम कुन्हाडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा

–– अपीलार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा।

–– प्रत्यर्थी

एकल पीठ
श्री द्वारका लाल मीणा, सदस्य

उपस्थित :–
श्री तेजमल जैन, अभिभाषक अपीलार्थीगण।
श्री शिवप्रकाश चौधरी, उपराजकीय अभिभाषक सरकार

निर्णय

दिनांक :–18–06–2018

यह द्वितीय अपील धारा 76, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 (संक्षेप में अधिनियम, 1956) के अन्तर्गत अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09–5–2006 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. अपील के संक्षिप्त एवं सारगर्भित तथ्य इस प्रकार है तहसीलदार लाडपुरा ने जिला कलक्टर कोटा के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया कि ग्राम कुन्हाडी स्थित विवादित आराजियात 283 रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा एवं खसरा संख्या 283/357 रकबा 8 बीघा 15 बिस्वा कुल भूमि 14 बीघा 15 बिस्वा भूमि अपीलार्थी के नाम खातेदारी में दर्ज है किन्तु बंदोबस्त ने उक्त

भूमि के नये खसरा संख्या 368 रकबा 1-26 हैक्टर एवं खसरा संख्या 377 रकबा 1-67 हैक्टर कुल भूमि 2-93 हैक्टर दर्ज कर दिया। जबकि उक्त भूमि का वास्तविक रकबा 2-39 हैक्टर बनता है। अतः 0-54 हैक्टर रकबा ज्यादा दर्ज किए गए रकबे को दुरूस्त किया जाकर अतिरिक्त भूमि को राजकीय भूमि घोषित किया जाए। जिला कलक्टर ने उक्त प्रार्थना पत्र को अपने निर्णय दिनांक 07-12-2004 द्वारा स्वीकार कर लिया। उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय अतिरिक्त संम्भागीय आयुक्त कोटा के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 09-5-2006 द्वारा खारिज कर दी। अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09-5-2006 से व्यथित होकर अपीलार्थीगण ने यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. हमने उभय पक्ष के विद्धान् अभिभाषकगण की बहस सुनी।

4. अपील मीमों के तथ्यों को दोहराते हुए विद्धान् अभिभाषक अपीलार्थीगण ने कथन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय विधि के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण निरस्त होने योग्य है। उनका कहना है कि मामले में बंदोबस्त विभाग ने किसी प्रकार की त्रुटिकारित नहीं की है। आगे बताया कि राज्य सरकार का रकबा किसी प्रकार से कम नहीं हुआ है। आगे कथन किया कि अपीलार्थीगण का जो रकबा पूर्व में था वहीं रकबा बदोबस्त के बाद कायम है। इसके अतिरिक्त रकबे पर अपीलार्थीगण का कब्जाकाश्त चला आ रहा है। उक्त स्थिति में जब सरकार के रकबे में किसी प्रकार की कमी नहीं हुई है तो अपीलार्थीगण के रकबे को कम करते हुए सरकार को रकबे को बढाया जाना विधि सम्मत नहीं है। उनका तर्क है कि मामले में तहसीलदार को धारा 136 के प्रार्थना पत्र प्रस्तुतीकरण की कोई अधिकरिता नहीं है। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संधारण योग्य नहीं था। उनका आगे तर्क है कि विवादित आराजी कभी भी सिंचाई विभाग के नाम दर्ज नहीं रही है। यदि सिंचाई विभाग

का रकबा कम हुआ होता तो वह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के तहत दावा प्रस्तुत कर अपने अधिकारों की घोषणा कराने के लिए स्वतंत्र है। उनका यह भी तर्क है कि मामले में कम हुए रकबे बाबत सिंचाई विभाग ने आदिनांक तक किसी प्रकार की चाराजोही नहीं की है। उनका आगे तर्क है कि तहसीलदार ने मामले में सिंचाई विभाग को आवश्यक पक्षकार संस्थित किए बिना ही धारा 136 की कार्यवाही की है, जबकि सिंचाई विभाग आवश्यक पक्षकार है, इस कारण तहसीलदार की कार्यवाही त्रुटिकारित है। अन्त में उन्होंने प्रस्तुत अपील स्वीकार कर अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09-5-2006 एवं जिला कलक्टर कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07-12-2004 को निरस्त किए जाने का निवेदन किया है।

5. इसके विपरीत उपराजकीय अधिवक्ता ने प्रस्तुत अपील का घोर विरोध करते हुए आक्षेपित निर्णय को न्यायसंगत, तर्कसंगत तथा विधि सम्मत होना कहा है। उनका कहना है कि अपीलार्थीगण ने प्रस्तुत द्वितीय अपील में किन्हीं ऐसे नवीन तथ्यों का समावेश नहीं किया है, जिसके आधार पर विधि तरीके से पारित किए गए आक्षेपित निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जा सके। अतः आक्षेपित निर्णय विधि सम्मत होने के कारण उसमें द्वितीय अपील के स्तर पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है। अन्त में उन्होंने प्रस्तुत अपील को निरस्त कर आक्षेपित निर्णय को यथावत रखे जाने का निवेदन किया है।

6. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, प्रस्तुत नजीरों एवं कानून का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं विश्लेषण किया।

7. हस्तगत प्रकरण राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 से संबंधित है, जिसका सुसंगत भाग निम्नानुसार हैः-

> **Correction of errors-** The Land Records Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or register, or which a Revenue Officer may notice during the course of his inspection in any Register:
>
> Provided that when any error is noticed by a Revenue Officer in any record of rights during the course of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties.

पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन से स्पष्ट है कि उपलब्ध रेकार्ड भू प्रबन्ध से पूर्व नकल जमाबंदी सम्वत 2015 से सम्वत 2024 के अनुसार आराजी खसरा संख्या 283 रकबा 9 बीघा 2 बिस्वा एवं खसरा संख्या 283/357 रकबा 8 बीघा 15 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 17 बीघा 17 बिस्वा भूमि अपीलार्थीगण के दादा हरलाल वल्द मोती के नाम दर्ज रेकार्ड है। बंदोबस्त के दौरान अपीलार्थीगण के दादा हरलाल का देहान्त होने के कारण उक्त भूमि उनके पुत्र लक्ष्मीनारायण के नाम 17 बीघा 17 बिस्वा भूमि के स्थान पर रकबा कम करते हुए त्रुटिपूर्ण तरीके से 14 बीघा 14 बिस्वा भूमि रेकार्ड में दर्ज कर दी। जिसका भू प्रबन्ध विभाग को उक्त त्रुटि का ज्ञान होने पर पुनः अपनी त्रुटि को सुधारते हुए नये खसरा संख्या 368 रकबा 1-26 हैक्टर एवं खसरा संख्या 377 रकबा 1-67 हैक्टर कुल रकबा 2-93 हैक्टर कायम करते हुए (जिसका रकबा 17 बीघा 17 बिस्वा ही होता है) जो अपीलार्थीगण के खाते में पूर्व रकबे के अनुसार ही दर्ज किया गया है, जो कि विधि सम्मत है। इस प्रकार बंदोबस्त विभाग द्वारा कोई त्रुटि किया जाना प्रदर्शित नहीं होता है। राज्य सरकार का कोई रकबा कम नहीं हुआ है तथा अपीलार्थीगण का जो रकबा पूर्व में था वही रकबा बदोबस्त की कार्यवाही के बाद कायम है। सारांशतः जब सरकार के रकबे में कोई कमी नहीं हुई है तो अपीलार्थीगण के खातेदारी की भूमि को कम करते हुए सरकार को बढाने का कोई औचित्य नहीं है। उक्त स्थिति में मामले में तहसीलदार लाडपुरा को धारा 136 भू राजस्व अधिनियम की कार्यवाही करने की अधिकारिता प्राप्त नहीं है।

8. माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी 2015 आरआरटी पेज 10 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 धारा 136 राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज की दुरूस्ती–व्याप्ति– एसडीओ ने राज्य के स्थान पर रेस्पोडेन्ट का नाम प्रविष्टि करने का आदेश दिया– 1955 से प्रश्नगत आराजी राज्य के नाम दर्ज थी – धारा 136 के अन्तर्गत एसडीओ द्वारा अपनी शक्ति का उपयोग करना न्यायसंगत नहीं था– उपयुक्त उपचार का अवलम्ब लेकर स्वत्व को साबित करना रेस्पोडेन्ट के लिए आवश्यक था – राज्य का नाम विलोपित किया जा सकता था, जब रेस्पोडेन्ट भूमि का स्वत्व करें– निर्णित, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश अपास्त किया तथा राजस्व मण्डल द्वारा पारित आदेश बहाल किया। उक्त न्यायिक दृष्टान्त की मंशा के अनुसार धारा 136 की कार्यवाही में राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती केवल लिपिकीय त्रुटि अथवा कुछ स्वीकृत त्रुटियां धारा 136 के अन्तर्गत परिशोधित की जा सकती है। इस कारण तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 संधारण योग्य नहीं होने के कारण निरस्त होने योग्य है। हमारे उक्त कथन की पुष्टि 1990 आरआरडी पेज 441 एवं 1980 पेज 341 से होती है।

9. नगरपालिका बाडमेर बनाम राज्य सरकार 2015 (1) आरआरटी (एससी) पेज 10 में माननीय उच्चतम न्यायालय की खण्ड पीठ ने निम्नानुसार व्यवस्था दी हैः–

> **Rajasthan Land Revenue Act,1956** - Sec. 136 -Scope-Correction of error in the revenue record-only the clerical error or some admitted error can be rectified u/Sec. 136.
>
> Para-7-

प्रकरण में अंकित विवादित आराजी कभी भी सिंचाई विभाग के नाम दर्ज नहीं होना पाया जाता है। खातेदार सिंचाई विभाग का रकबा कम हुआ होता तो वह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के तहत दावा पेश कर अपने अधिकारों की घोषणा कराने के लिए स्वतंत्र है। सिंचाई विभाग द्वारा बंदोबस्त के पश्चात व पुनः बंदोबस्त के बाद भी मामले में किसी प्रकार की कोई

कार्यवाही नहीं किया जाना प्रदर्शित होता है। सिंचाई विभाग के रकबे में कोई कमी बेशी नहीं हुई है। प्रकरण में तहसीलदार द्वारा धारा 136 की कार्यवाही करना व खातेदार सिंचाई विभाग को आवश्यक पक्षकार संस्थित नहीं किया जाना भी यही दर्शाता है कि खातेदार सिंचाई विभाग को कोई आपत्ति नहीं थी। प्रकरण में भूमि पूर्व में अपीलार्थीगण एवं उनके पूर्वजों के नाम खातेदार के रूप में दर्ज रही है व बंदोबस्त की कार्यवाही के दौरान सिंचाई विभाग के नाम दर्ज किया जाना व पुनः बंदोबस्त के दौरान खातेदार के नाम दर्ज किया गया है, जो किसी प्रकार की त्रुटिपूर्ण होना नहीं पाया जाता है।

10. उपलब्ध राजस्व रेकार्ड के अनुसार नकल जमाबंदी सम्वत 2058 से 2061 के अनुसार खसरा संख्या 368 रकबा 1-26 हैक्टर एवं खसरा संख्या 377 रकबा 1-67 हैक्टर दर्ज है। जिसका कुल रकबा 2-93 हैक्टर होता है। जिला कलक्टर कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 7-12-2004 की पालना में खसरा संख्या 368 रकबा 0-99 हैक्टर व खसरा संख्या 377 रकबा 1-40 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 2-39 हैक्टर भूमि अपीलार्थीगण की खातेदारी में दर्ज कर दी। अर्थात 0-54 हैक्टर भूमि अपीलार्थीगण के खाते से कम दर्ज कर दी। चूँकि वर्तमान में अपीलार्थी ने खसरा संख्या 377 की भूमि का बेचान कर दिया है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण अपने आधिपत्य के खसरा संख्या 368 में उक्त कमी की पूर्ति करवाने का अधिकारी है।

11. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रस्तुत अपील में सारवान व विधिक उपचार उपलब्ध होने के कारण स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों को अपास्त किया जाना समीचीन है।

12. परिणामतः प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 9-5-2006 एवं जिला कलक्टर कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक

7-12-2004 को निरस्त किए जाते है। तहसीलदार लाडपुरा को निर्देशित किया जाता है कि ग्राम कुन्हाडी की आराजी खसरा संख्या 368 रकबा 0-99 हैक्टर के स्थान पर कमी किए गए रकबे की पूर्ति करते हुए आराजी खसरा संख्या 368 रकबा 1-26 हैक्टर भूमि अपीलार्थीगण के नाम खातेदारी में दर्ज किया जाना सुनिश्चित करें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(द्वारका लाल मीणा)
सदस्य